

नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक १ ते २५ आतील वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनरोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डोकेट)(zone - ३)

डिसेंबर २०२५

वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय

अ. क्र.	आवक क्र. व दिनांक	अर्जदाराचे नाव व पत्ता	बाधित वृक्षाचे नाव	म. वे. (मी.)	उंची (मी.)	वय वर्ष (अंदाजे)	खात्याची शिफारस	तज्ञांची शिफारस	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या	पुनरोपण करणे संख्या	नकार कळवण्यात आलेली संख्या	नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम
१)	१२८५२ २/१२/२५	सौ. अनिता आणण्या स्वामी, स. नं. ३/२/१ अ/ १९, स्वामी बंगला, अक्षय कॉलनी, NDA रोड, वारजे, पुणे	१) नारळ (वृ. क्र. १)	१.२०	१५	२५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष घराकडे झुकलेले आहे. वृक्षांच्या मुळ्यानी कंपाऊंड वॉल पडलेली आहे. शेजारी वर्दळीचा रस्ता आहे. वृक्षाच्या खाली लहान मुले खेळत असतात. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन २५ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	खात्याची शिफारस मान्य.	०१	--	--	२५	१०,०००/-
२)	११८१२ १७/११/२५	श्री. आनंद भालचंद्र देशपांडे, सि. स. नं. ४६/२, फा. प्लॉट	१) आंबा (वृक्ष क्र. ५)	१.१०	८	३०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ५ चे वृक्ष झाईव्ह वे ला अडथळा ठरत आहे. तरी	खात्याची शिफारस मान्य.	०१	--	--	३०	१०,०००/-

		नं. ६८/९, नळस्टॉप, पुणे																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		रोड, कर्वेनगर, पुणे							सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ४२ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र.१ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)							
५)	१११५३ ३१/१०/२५	सौ. नलिनी देशपांडे, प्लॉट नं. ८, भरतकुंज सोसायटी, सि. स. क्र. १४०/८, स. नं. ३८, एरंडवणे पुणे	१) नारळ (वृक्ष क्र. ९) २) आंबा (वृक्ष क्र. १०)	१ १.१०	२० ७	३२ ३२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ९ चे वृक्ष सीमाभित्तवर धोकादायक रित्या तिरपे झुकलेले आहे व वृक्ष क्र. १० चे वृक्ष बांधकाम खोदाईला अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ६४ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १० चे वृक्ष पुनर्रोपण करणेस व वृक्ष क्र. ९ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	०१	०१	--	६४	२०,०००/-				
६)	१०३८० १०/१०/२५	श्री. प्रतिक प्रदीप हुबळीकर, फा. प्लॉट नं. ७३/१/१९ व	१) बदाम (वृक्ष क्र. ७) २) बदाम (वृक्ष क्र. ८) ३) टोबोबिया (वृक्ष क्र. ९) ४) बुच (वृक्ष क्र. १५)	०.४५ ०.४५ ०.५५ १.४०	५ ५ ६ १०	१३ १३ १५ २६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ७, ८, ९, १५ चे वृक्ष बेसमेंट व रिटेनिंग वॉल	--	०४	--	६७	४०,०००/-				

			७३/१/२०, वि भा को. ऑप. हौसिंग सोसायटी, एरंडवणे, पुणे						ला अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ६७ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. ७, ८, ९, १५ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	वृक्षांचे पुनरोपणाची शिफारस. नवीन देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची ६७ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	०१	०३	--	११०	४०,०००/-
७)	१०७३१ २७/५/२५	श्री. दादासाहेब जगताप व इतर, स.नं. ४/२ब/१, वारजे, पुणे	१) अशोक (वृक्ष क्र. १) २) नारळ (वृक्ष क्र. २) ३) आंबा (वृक्ष क्र. ३) ४) उंबर (वृक्ष क्र. ५)	१.१० ०.९५ १.२० १.५०	१२ ११ ८ ५	२५ २५ ३० ३०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १, २, ३, ५ चे वृक्ष बांधकाम खोदाईला अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ११० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. २ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस व वृक्ष क्र. १, ३, ५ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ०४ वृक्ष बांधकामास अडथळा ठरत आहेत. अ. क्र. १, ३ व ४ अशा तीन वृक्षांचे पुनरोपणाची शिफारस. अ. क्र. ४ चा वृक्ष उंबर पूर्ण काढणेस शिफारस. नवीन देशी प्रजातीची १० ते १२ फुट उंचीची ११० वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	०१	०३	--	११०	४०,०००/-		
८)	१०८१० २८/१०/२५	श्री. संजय शिरोडे, स.नं. २ ०+२१+२२	१) अशोक (वृक्ष क्र. १) २) नारळ (वृक्ष क्र. २) ३) आंबा (वृक्ष क्र. ३)	१.१० १.२० १.२०	१० १५ १२	२२ २५ २५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ०५ वृक्ष बांधकामास	०२	०३	--	११८	५०,०००/-		

